रजिस्ट्री सं० डी-(डी) 72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 1977/पौष 22, 1898
No. 10] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 1977/PAUSA 22, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

WEALTH-TAX

New Delhi, the 12th January 1977

S.O. 16(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth-tax Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Wealth-tax (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force at once

2. In the Wealth-tax Rules, 1957, in rule 8A,—

(i) in sub-rule (2),—

(a) for clause (i), the following clause shall be substituted namely.—

"(i) he must either be a graduate in civil engineering, architecture or town planning of a recognised university, or possess a qualification recognised by the Central Government for recruitment to superior services or posts under the Central Government in the field of civil engineering, architecture or town planning; and";

(b) in clause (ii), in sub-clause (A), in item (c), for the words "an equivalent qualification", the words 'any qualification" shall be substituted; ed;

(ii) in sub-rule (6), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

"(i) he must be a graduate in mining of a recognised university, or must possess a qualification recognised by the Central Government for recruitment to superior services or posts under the Central Government in the field of mining; and";

(iii) in sub-rule (8),—

(a) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

"(i) he must either be a graduate in machanical or electrical engineering of a recognised university, or possess a qualification recognised by the Central Government for recruitment to superior services or posts under the Central Government in the field of mechanical or electrical engineering, and",

(b) in clause (ii), in sub-clause (A), in item (c), for the words "an equivalent qualification", the words "any qualification" shall be substituted;

(iv) *Explanation* below sub-rule (14) shall be numbered as *Explanation* 1, and after *Explanation* 1 as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely —

"*Explanation* 2. Where the membership of any institution is recognised by the Central Government as a qualification for the purposes of recruitment to superior services or posts under the Central Government in any field, such membership shall not be regarded as a requisite qualification for the purposes of this rule, unless the membership has been granted on the basis of passing the examinations conducted by the institution".

[No. 1618/F. No. 142(28)/75-TPL.]

S. N. SHENDE, Secy.

Central Board of Direct Taxes

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

अधिसूचना

धन-कर

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1977

का० आ० 16 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-कर नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम धन-कर (संशोधन) नियम, 1977 है ।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. धन-कर नियम, 1957 मे, नियम 8क में,

(i) उपनियम (2) मे,—

(क) खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) उसे सिविल इंजीनियरी, वास्तुकला या नगर योजना में किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक होना चाहिए या वह सिविल इजीनियरी, वास्तुकला या नगर योजना के क्षेत्र मे केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ सेवाओं या पदों पर भर्ती के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अर्हता रखता हो; और";

(ख) खण्ड (ii) मे, उपखण्ड (क) मे, मद (ग) मे, "कोई समतुल्य अर्हता" शब्दो के स्थान पर "कोई अर्हता" शब्द रखे जायेंगे ,

(ii) उप नियम (6) मे खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) उसे खनन (माईनिंग) विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक होना चाहिए या वह खनन के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ सेवाओं या पदों पर भर्ती के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अर्हता रखता हो ; और",

(iii) उप नियम (8) मे,

(क) खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) उसे किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यान्त्रिक या वैद्युत इजीनियरी में स्नातक होना चाहिए या यान्त्रिक अथवा वह वैद्युत इजीनियरी के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ सेवाओं या पदो पर भर्ती के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अर्हता रखता हो, और" ;

(ख) खण्ड (ii) मे, उपखण्ड (क) मे, मद (ग) में "कोई समतुल्य अर्हता" शब्दों के स्थान पर "कोई अर्हता" शब्द रखे जायेंगे ,

(iv) उपनियम (14) के नीचे **स्पष्टीकरण** को, **स्पष्टीकरण** 1 के रूप मे संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित **स्पष्टीकरण** 1 के पश्चात् निम्न-लिखित **स्पष्टीकरण** अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—2 : जहां किसी क्षेत्र मे केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ सेवाओं या पदो पर भर्ती के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी संस्था की सदस्यता को अर्हता के रूप मे मान्यता दी गई हो, वहां

इस नियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी सदस्यता को तब तक अपेक्षित अर्हता नहीं माना जाएगा जब तक कि सदस्यता संस्था द्वारा संचालित किसी परीक्षा के उत्तीर्ण होने के आधार पर न दी गई हो ।" ।

[सं० 1618/फा० सं० 142(28)/75-टी० पी० एल०]

एस० एन० शेड, सचिव,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977